यू॰पी॰ बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/30/2018 **दिनांक :** 23.03.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

वार्षिक लेखाबंदी के लिए बैंक अवकाश में परिवर्तन

उपरोक्त विषय में हम एआईबीईए के परिपत्र पत्र संख्या 28/68/2018/16 दिनांक 23.03.2018 का अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

- **वार्षिक लेखाबंदी के लिए बैंक अवकाश में परिवर्तन 1 अप्रैल के स्थान पर 2 अप्रैल, 2018**

यह हमारे संज्ञान में लाया गया था कि वर्तमान वर्ष के लिए बैंक अवकाशों की घोषणा के समय, 1 अप्रैल 2018 को वार्षिक लेखाबंदी के लिए बैंक अवकाश के रूप में शामिल किया गया था। चूंकि 1 अप्रैल, 2018 को रविवार है और कुछ राज्यों में यह ईस्टर रविवार होने के कारण महत्वपूर्ण है, हमने वार्षिक लेखाबंदी के लिए बैंक अवकाश को 2 अप्रैल, 2018 (सोमवार) को संशोधित करने के लिए आईबीए के साथ इस मामले का उठाया।

आईबीए ने सरकार तथा आरबीआई के साथ मामले को उठाया और हमें आईबीए के माध्यम से यह जानकर प्रसन्नता है कि आरबीआई ने बैंक खातों की वार्षिक लेखाबंदी के लिए एन.आई. एक्ट के तहत 2 अप्रैल, 2018 को अवकाश घोषित करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाने के लिए अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाह दी है।

अभिवादन सहित,

आपका साथी
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री